2015 का विधेयक सं.10

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2002 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 9 का संशोधन.- डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 15), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 9 में विद्यमान उप-धारा (4) और (5) हटायी जायेगी।

3. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 10 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"10. निरीक्षण.- (1) कुलाधिपति को, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निदेश दे,-

(क) विश्वविद्यालय, इसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं और उपस्करों का; या

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी महाविद्यालय, संस्था या छात्रावास का; या

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या किये गये अध्यापन और अन्य कार्य का; या

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के संचालन का, निरीक्षण करवाने का अधिकार होगा।

(2) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जैसा वह निदेश दे, जांच करवाने का भी अधिकार होगा।

(3) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, किये जाने वाले निरीक्षण या जांच करवाने के अपने आशय के बारे में विश्वविद्यालय को सूचना देगा और विश्वविद्यालय ऐसे निरीक्षण या जांच में प्रतिनिधित्व किये जाने का हकदार होगा।

(4) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय को ऐसी जांच या निरीक्षण के परिणाम के संबंध में अपने विचारों से संसूचित करेगा और, उन पर विश्वविद्यालय की राय अभिनिश्चित करने के पश्चात्, की जाने वाली कार्रवाई के बारे में विश्वविद्यालय को सलाह दे सकेगा और ऐसी कार्रवाई करने के लिए समय सीमा नियत कर सकेगा।

(5) विश्वविद्यालय, इस प्रकार नियत की गयी समय सीमा के भीतर-भीतर, कुलाधिपति द्वारा दी गयी सलाह पर की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में कुलाधिपति को रिपोर्ट देगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय नियत की गयी समय सीमा के भीतर-भीतर कार्रवाई नहीं करता है या यदि कुलाधिपति की राय में, विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्रवाई समाधानप्रद नहीं है तो कुलाधिपति, विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण पर या किये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसा निदेश जारी कर सकेगा जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेश का पालन करेगा।

(7) यदि विश्वविद्यालय, उप-धारा (6) के अनुसार जारी किये गये निदेश का, ऐसी नियत समय सीमा के भीतर-भीतर, जो इस निमित्त कुलाधिपति द्वारा नियत की जाये, पालन नहीं करता है तो कुलाधिपति को स्वविवेकानुसार ऐसे निदेश का क्रियान्वयन कराने के लिए किसी व्यक्ति या निकाय को नियुक्त करने की और ऐसा आदेश करने की शक्ति होगी जो उसके व्ययों के लिए आवश्यक हो।"।

4. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 20 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 20 में,-

(i) उप-धारा (4) का विद्यमान खण्ड (घ) हटाया जायेगा; और

(ii) विद्यमान उप-धारा (6) हटायी जायेगी।

5. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 24 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"24. कुलपति.- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिश पर, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा-

(क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय या उसके किसी महाविद्यालय से संबंधित न हो;

(ख) भारतीय चिकित्सा पद्धति (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) विभाग, भारत सरकार द्वारा नामनिर्देशित भारतीय चिकित्सा पद्धति का विशेष ज्ञान रखने वाला एक व्यक्ति;

(ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति; और

(घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति,

और कुलाधिपति इनमें से किसी एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

(2) कुलपति की पदावधि उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी:

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) कुलपति, ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित नि:शुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

(4) जब कुलपति के पद की कोई स्थायी रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह कुलाधिपति द्वारा, उप-धारा (1) के अनुसार भरी जायेगी और

जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा, उप-धारा (5) के अधीन और अनुसार कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी।

(5) जब कुलपति के पद की कोई अस्थायी रिक्ति उसकी छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप-धारा (4) के अधीन कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो तब कुल-सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलाधिपति को करेगा जो, राज्य सरकार की सलाह से, कुलपति के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए व्यवस्था करेगा।

(6) कुलपति अपने पद का त्याग, किसी भी समय अपना त्यागपत्र ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का इच्छुक हो, कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत करके, कर सकेगा।

(7) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलपति को दी जाये।

(8) जहां, कुलपति के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी भी अन्य महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय में नियोजित था, वहां वह उस भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रख सकेगा जिसका वह ऐसे नियोजन में सदस्य था और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखे में अंशदान करेगा।

(9) जहां कुलपति, उसके पूर्ववर्ती नियोजन में, किसी बीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो, वहां विश्वविद्यालय, ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा।

(10) कुलपति, ऐसी दरों पर जैसीकि बोर्ड द्वारा नियत की जायें, यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(11) कुलपति, निम्नानुसार छुट्टियों का हकदार होगा:-

(क) प्रत्येक ग्यारह दिवस की वास्तविक सेवा के लिए एक दिवस की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी; और

(ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिवस की दर से अर्धवैतनिक छुट्टी:

परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अर्धवैतनिक छुट्टी को पूर्ण वैतनिक छुट्टी में रूपान्तरित किया जा सकेगा।"।

6. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 29 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (4) का विद्यमान खण्ड (घ) हटाया जायेगा।

7. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 44 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 44 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"44. लेखे और संपरीक्षा.- (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र, कुलपति के निदेश के अधीन, वित्त और लेखा अधिकारी द्वारा तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोदभूत होने वाली या उसके द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियां और संवितरित या संदत्त समस्त रकमों की प्रविष्टि लेखाओं में की जायेगी।

(2) वित्त और लेखा अधिकारी, ऐसी तारीख से पूर्व जो परिनियमों में विहित की जाये, आगामी वर्ष के लिए विश्वविद्यालय का वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगा।

(3) वित्त और लेखा अधिकारी द्वारा तैयार किये गये विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन, वित्त और लेखा समिति की टिप्पणियों के साथ बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए रखे जायेंगे और बोर्ड इसके संदर्भ में संकल्प पारित कर सकेगा और इसे वित्त और लेखा अधिकारी को संसूचित कर सकेगा जो तदनुसार कार्रवाई करेगा।

(4) वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षा विहित रीति से ऐसे संपरीक्षकों द्वारा की जायेगी जिनका राज्य सरकार निदेश दे और ऐसी संपरीक्षा का व्यय विश्वविद्यालय निधि पर प्रभार होगा।

(5) संपरीक्षित होने पर लेखे मुद्रित किये जायेंगे और उनकी प्रतियां, संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, कुलपति द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की जायेंगी जो उन्हें ऐसी टिप्पणियों सहित, जो आवश्यक समझी जायें, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा ।

(6) विश्वविद्यालय, संपरीक्षा में किये गये आक्षेपों का समाधान करेगा और ऐसे अनुदेशों को कार्यान्वित करेगा जो संपरीक्षा रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये जायें।"।

8. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 में नयी धाराओं 44-क और 44-ख का अन्त:स्थापन.- इस प्रकार संशोधित मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 44 के पश्चात् और विद्यमान धारा 45 के पूर्व निम्नलिखित नयी धाराएं अन्त:स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"44-क. राज्य सरकार का नियंत्रण.- जहां राज्य सरकार की निधियां अन्तर्वलित हैं, वहां विश्वविद्यालय ऐसी निधियों की मंजूरी से संबद्ध निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के संबंध में राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा भी सम्मिलित है, अर्थात् :-

(क) अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के नये पदों का सृजन;

(ख) अपने अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन, भत्तों, सेवानिवृत्ति-पश्चात् के फायदों और अन्य फायदों का पुनरीक्षण;

(ग) अपने अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों में से किसी को किसी अतिरिक्त/विशेष वेतन, भत्ते या किसी भी प्रकार का अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक, जिसमें वित्तीय विवक्षाएं रखने वाला अनुग्रहपूर्वक संदाय या अन्य फायदे सम्मिलित हैं, की मंजूरी;

(घ) किसी भी निश्चित निधि का ऐसे प्रयोजन, जिसके लिए वह प्राप्त की गयी थी, से भिन्न प्रयोजन के लिए अपयोजन;

(ङ) स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, पट्टे, बंधक द्वारा या अन्यथा अन्तरण;

(च) राज्य सरकार से प्राप्त निधियों से, ऐसे प्रयोजनों, जिनके लिए निधियां प्राप्त की गयी हैं, से भिन्न प्रयोजनों के लिए किसी भी विकास कार्य पर व्यय उपगत करना; और

(छ) ऐसा कोई भी विनिश्चय करना जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, वित्तीय दायित्व बढ़ जाये।

स्पष्टीकरण.- पूर्वोक्त शर्तें किसी भी अन्य निधि से सृजित ऐसे पदों के संबंध में भी लागू होंगी जिनसे राज्य सरकार पर दीर्घकाल में वित्तीय विवक्षाएं होने की संभावना है।

44-ख. आपात उपाय के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय नियंत्रण की धारणा.- (1) राज्य सरकार को, विश्वविद्यालय के वित्त से संबंधित ऐसे किसी भी मामले के संबंध में, जहां राज्य सरकार की निधियों का संबंध हो, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसाकि वह निदेश दे, जांच करवाने और विश्वविद्यालय को निदेश जारी करने का अधिकार होगा।

(2) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गयी है तो वह, अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगी कि विश्वविद्यालय का वित्त राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगा और ऐसे अन्य निदेश जारी करेगी जो वह उक्त प्रयोजन के लिए ठीक समझे और वे विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होंगे।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विश्वविद्यालयों और राज्य सरकार के बीच अच्छा सांमजस्य रहा है किन्तु यदा कदा कुछ ऐसे दृष्टांत रहे हैं जब राज्य सरकार की नीतियों और निदेशों को, जबकि वे प्रशासनिक या वित्तीय मामलों तक सीमित हों, तब भी अनदेखा कर दिया जाता है।

साथ ही, ऐसा कोई भी सामर्थ्यकारी उपबंध नहीं है जिसके माध्यम से विश्वविद्यालयों से राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय अनुशासन या प्रशासनिक नीतियों का अनुसरण कराया जा सके। इसके अतिरिक्त, कुलपतियों की नियुक्ति की पद्धति और सेवानिवृत्ति तथा सेवानिवृत्ति की आयु में अन्तर हैं।

अत:, विभिन्न विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में एकरूपता बनाये रखने और बेहतर वित्तीय अनुशासन एवं प्रशासनिक वातावरण बनाने के लिए डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2002 की कुछ धाराओं को संशोधित करने का और उसमें कुछ नये उपबंध जोड़ने का विनिश्चय किया गया है, अर्थात्, कुलाधिपति की निरीक्षण की शक्तियां, कुलपति की सेवानिवृत्ति की आयु, कुलपति की सेवा की अन्य शर्तें, लेखे और संपरीक्षा, राज्य सरकार की निधियों के संबंध में राज्य सरकार का नियंत्रण और आपात उपाय के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय नियंत्रण की धारणा।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

राजेन्द्र राठौड़,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 5 और 7, यदि अधिनियमित किये जाते हैं तो, क्रमश: प्रस्तावित धारा 24(3) के अधीन कुलपति की अन्य परिलब्धियां विहित करने के लिए और प्रस्तावित धारा 44(2) के अधीन वह तारीख विहित करने के लिए, जिसके पूर्व आगामी वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन तैयार किये जायेंगे, सशक्त करेंगे।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

राजेन्द्र राठौड़,
प्रभारी मंत्री।

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 15) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

9. कुलाधिपति की शक्तियां.- (1) से (3) XX XX XX XX

(4) कुलाधिपति ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जिन्हें वह नामनिर्दिष्ट करे, विश्वविद्यालय और इसके भवनों, केन्द्रों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं, उपस्करों और परीक्षाओं का और विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित, नियंत्रित या संधारित किसी संस्था, महाविद्यालय या छात्रावास का भी, साथ ही साथ विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा, अध्यापन और अन्य कार्य का निरीक्षण करवा सकेगा।

(5) कुलाधिपति विश्वविद्यालय के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी भी मामले में जांच करवा सकेगा।

(6) XX XX XX XX XX XX XX XX

10. कुलाधिपति द्वारा निरीक्षण या जांच और निर्देश.- (1) जहां धारा 9 की उप-धारा (4) या (5) के अधीन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा किसी निरीक्षण या जांच का आदेश दिया गया है, वहां विश्वविद्यालय ऐसे निरीक्षण या जांच में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने अधिकारियों में से किसी की प्रतिनियुक्ति कर सकेगा।

(2) कुलाधिपति के निरीक्षण या जांच और सलाह, यदि कोई हो, का परिणाम कुलाधिपति द्वारा कुलपति को संसूचित किया जायेगा।

(3) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट परिणाम और सलाह कुलपति द्वारा उसकी टिप्पणियों सहित प्रबंध बोर्ड को ऐसी कार्यवाही के लिए, जैसी बोर्ड करने के लिए प्रस्तावित करे, संसूचित की जावेगी और ऐसी की गयी कार्रवाई कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को संसूचित की जायेगी।

(4) जहां प्रबंध बोर्ड निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप या कुलाधिपति द्वारा दी गयी सलाह के अनुसार अपेक्षित कोई कार्रवाई युक्तियुक्त समय के भीतर करने में असफल रहता है या कुलाधिपति के समाधानप्रद रूप में कार्रवाई नहीं करता है वहां कुलाधिपति द्वारा कोई निर्देश जारी किया जा सकेगा और प्रबंध बोर्ड ऐसे निर्देश का अनुपालन करेगा।

XX XX XX XX XX

20. वित्त और लेखा समिति.- (1) से (3) XX XX XX

(4) समिति निम्नलिखित अतिरिक्त कृत्यों और कर्त्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात्:-

(क) उत्पादक कार्य के लिए उधारों के आगमों को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय की आय और संसाधनों पर आधारित वर्ष के कुल आवर्ती और अनावर्ती व्ययों की सीमाओं की प्रबंध बोर्ड को सिफारिश करना;

(ख) प्रबन्ध बोर्ड को विश्वविद्यालय की आस्तियों और संसाधनों के उत्पादक विनियोजन और प्रबंध की सिफारिश करना;

(ग) विश्वविद्यालय के विकास के लिए संसाधनों के संवर्धन की सम्भावनाओं को तलाशना और उनका अवलम्ब लेना;

(घ) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वविद्यालय के लेखाओं का लेखा परीक्षण करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाना;

(ङ) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों के प्रशासन से संबंधित मामलों पर प्रबंध बोर्ड को सलाह देना;

(च) वित्तीय मामलों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के समुचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना;

(छ) विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड, विद्या परिषद् या किसी भी अन्य प्राधिकारी, निकाय या समिति द्वारा उसे निर्दिष्ट वित्तीय मामलों पर सलाह देना;

(ज) वित्तीय मामलों में किसी भी भूल या अनियमितता, जो इसके ध्यान में आये, की रिपार्ट कुलपति को देना, जो मामले की गंभीरता का निर्धारण करने के पश्चात् समुचित त्वरित कार्यवाही करेगा या उसे प्रबंध बोर्ड को निर्दिष्ट करेगा;

(5) XX XX XX XX XX XX XX

(6) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षण के लिए खुला रहेगा।

XX XX XX XX XX

24. कुलपति.- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और निम्नलिखित से गठित चयन समिति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा, अर्थात्:-

(क) प्रबंध बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या किसी भी सम्बद्ध महाविद्यालय या मान्यता प्राप्त या अनुमोदित संस्थाओं से संसक्त नहीं होना चाहिए;

(ख) भारत सरकार के भारतीय चिकित्सा पद्धति (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) विभाग द्वारा नामनिर्देशित, भारतीय चिकित्सा पद्धति का विशिष्ट ज्ञान रखने वाला कोई व्यक्ति;

(ग) शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान या राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित कोई भी अन्य अधिकारी;

(घ) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक प्रख्यात आयुर्वेदिक शिक्षाविद्;

और कुलाधिपति इन व्यक्तियों में से एक को समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगा।

(2) पैनल तैयार करने की प्रक्रिया कुलपति की रिक्ति होने की संभावित तारीख से कम से कम तीन मास पहले प्रारम्भ होगी और कुलाधिपति द्वारा नियत समय सीमा के भीतर-भीतर पूरी कर ली जायेगी। कुलाधिपति समय सीमा बढ़ा सकेगा, यदि ऐसा करना आवश्यक हो, किन्तु इस प्रकार बढ़ायी गयी कालावधि कुल मिलाकर तीन मास से अधिक नहीं होगी।

(3) समिति, कुलपति नियुक्त किये जाने के लिए, कुलाधिपति के विचारार्थ कम से कम तीन उपयुक्त व्यक्तियों के पैनल की सिफारिश करेगी। नाम वर्णक्रम में कोई भी अधिमान उपदर्शित किये बिना, होंगे। रिपोर्ट के साथ, पैनल में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति की उपयुक्तता पर ब्यौरेवार विवरण, लगा होगा।

(4) विश्वविद्यालय समिति पर कुलाधिपति द्वारा यथा अनुमोदित व्यय उपगत करेगा।

(5) कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से एक को कुलपति नियुक्त करेगा। यदि कुलाधिपति इस प्रकार सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से किसी का भी अनुमोदन नहीं करता है तो वह या तो उसी समिति से या इस प्रयोजन के लिए किसी नयी समिति के गठन के पश्चात् नये पैनल की मांग कर सकेगा।

(6) कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष तक की कालावधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारित करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(7) कुलपति, कुलाधिपति को संबोधित स्वहस्ताक्षर लिखित त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा जो कुलाधिपति को सामान्यत: उस तारीख से साठ दिन पूर्व दिया जायेगा, जब कुलपति अपने पद से मुक्त होने की इच्छा रखता है, किन्तु कुलाधिपति उसे पहले भी मुक्त कर सकेगा।

(8) कुलाधिपति किसी भी उपयुक्त व्यक्ति को, निम्नलिखित किन्हीं भी परिस्थितियों में, कुल मिलाकर छह मास से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए जो वह अपने आदेश में विनिर्दिष्ट करे, कुलपति के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा:-

(क) जहां मृत्यु या त्यागपत्र के कारण, कुलपति पद की कोई रिक्ति हो जाती है और उप-धारा (1) से (6) के उपबंधों के अनुसार रिक्ति सुविधापूर्वक और तत्परतापूर्वक भरी नहीं जा सकती है;

(ख) जहां कुलपति की रिक्ति बीमारी या अन्य कारणों से अस्थायी रूप से होती है।

(9) कुलपति की सेवा की परिलब्धियां और अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें और उसकी नियुक्ति के पश्चात् उनका परिवर्तन उसके लिए अहितकर रूप में नहीं किया जायेगा।

XX XX XX XX XX

29. वित्त और लेखा अधिकारी.- (1) से (3) XX XX XX

(4) वित्त और लेखा अधिकारी के कर्तव्य निम्नलिखित होंगे:-

(क) विश्वविद्यालय की निधियों का साधारण पर्यवेक्षण करना और विश्वविद्यालय के वित्त प्रबंधों के संबंध में कुलपति को सलाह देना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि किसी वर्ष के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियत सीमाएं, अधिक नहीं हों और यह कि समस्त आवंटन उन प्रयोजनों के लिए जिनके लिए वे मंजूर या आवंटित किये गये हैं, व्यय किये गये हैं;

(ग) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखना और संग्रहण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली नीतियों पर कुलपति को सलाह देना;

(घ) विश्वविद्यालय के लेखाओं की नियमित रूप से संपरीक्षा करवाना;

(ङ) यह सुनिश्चित करना कि भवनों, भूमि, उपस्कर और मशीनरी के रजिस्टर अद्यतन रखे जाते हैं और यह कि विश्वविद्यालय के समस्त कार्यालयों, महाविद्यालयों, कार्यशालाओं और गोदामों में उपस्करों और अन्य खपने वाली सामग्री का स्टाक मिलान नियमित रूप से किया जाता है;

(च) कुलपति को यह प्रस्तावित करना कि विश्वविद्यालय के किसी शैक्षणिक सदस्य से अप्राधिकृत व्यय या अन्य वित्तीय अनियमितताओं के लिए स्पष्टीकरण मांगा जाये;

(छ) कुल-सचिव को यह प्रस्तावित करना कि किसी विशेष मामले में अप्राधिकृत व्यय या अनियमितताओं के लिए विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी या अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जावे और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की सिफारिश की जाये;

(ज) विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यालय, केन्द्र, प्रयोगशाला, महाविद्यालय, विभाग या विश्वविद्यालय संस्था से किसी ऐसी सूचना और विवरणी की मांग करना, जिसे वह उसके वित्तीय उत्तरदायित्वों के उचित निर्वहण के लिए आवश्यक समझता है; और

(झ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का निर्वहण करना जो कुलपति द्वारा समनुदेशित किये जायें या परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा विहित किये जायें।

XX XX XX XX XX

44. वार्षिक लेखे और वित्तीय प्राक्कलन.- (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे वित्त और लेखा समिति के निर्देश के अधीन तैयार किये जायेंगे और प्रबंध बोर्ड को प्रस्तुत किये जायेंगे।

(2) प्रबंध बोर्ड, लेखे संपरीक्षित हो जाने के पश्चात् संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रति के साथ इसकी एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(3) वित्त और लेखा समिति ऐसी तारीख से पूर्व जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये आगामी वर्ष के लिए वित्तीय प्राक्कलन भी तैयार करेगी।

(4) प्रबंध बोर्ड द्वारा उसकी वार्षिक बैठक में वार्षिक लेखाओं और वित्तीय प्राक्कलनों पर विचार किया जायेगा और प्रबंध बोर्ड उनके संदर्भ में संकल्प पारित करेगा और इसे वित्त और लेखा समिति को संसूचित करेगा, जो उन पर विचार करेगी और उसमें ऐसी कार्रवाई करेगी जो वह उचित समझे और अंतत: लेखे और वित्तीय प्राक्कलनों को अंगीकृत करेगी। वित्त और लेखा समिति, प्रबंध बोर्ड को, उसकी आगामी बैठक में उसके द्वारा की गयी कार्रवाई या उसके द्वारा कोई भी कार्रवाई न करने के कारणों की सूचना देगी।

XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

Bill No. 10 of 2015

THE DR. SARVEPALLI RADHAKRISHNAN RAJASTHAN AYURVED UNIVERSITY, JODHPUR (AMENDMENT) BILL, 2015

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur Act,2002.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 9, Rajasthan Act No. 15 of 2002.- In section 9 of the Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur Act, 2002 (Act No. 15 of 2002), hereinafter referred to as the principal Act, the existing sub-sections (4) and (5) shall be deleted.

3. Amendment of section 10, Rajasthan Act No. 15 of 2002.- For the existing section 10 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**10.Visitation.-** (1) The Chancellor shall have the right to cause an inspection, to be made by such person or persons, as he may direct–

(a) of the University, its buildings, laboratories, libraries, museums, workshops and equipments; or

(b) of any college, institution or hostel maintained by the University; or

(c) of the teaching and other work conducted or done by the University; or

(d) of the conduct of any examination held by the University.

(2) The Chancellor shall also have the right to cause an inquiry to be made by such person or persons as he may direct in respect of any matter connected with the University.

(3) The Chancellor shall, in every case, give notice to the University of his intention to cause an inspection or inquiry to be made and the University shall be entitled to be represented at such inspection or inquiry.

(4) The Chancellor shall communicate to the University his views with reference to the result of such inspection or inquiry and may, after ascertaining the opinion of the University thereon, advise the University upon the action to be taken and fix a time limit for taking such action.

(5) The University shall, within the time limit so fixed, report to the Chancellor the action taken or proposed to be taken on the advice tendered by the Chancellor.

(6) If the University does not take action within the time limit fixed, or if the action taken by the University is, in the opinion of the Chancellor, not satisfactory, the Chancellor may, after considering any explanation offered or representation made by the University, issue such direction as he may deem fit and the University shall comply with such direction.

(7) If the University does not comply with such direction issued as per sub-section (6) within such time as may be fixed in that behalf by the Chancellor, the Chancellor shall at his discretion have power to appoint any person or body to implement such direction and make such order as may be necessary for the expenses thereof.”.

4. Amendment of section 20, Rajasthan Act No. 15 of 2002.- In section 20 of the principal Act,-

(i) the existing clause (d) of sub-section (4) shall be deleted; and

(ii) the existing sub-section (6) shall be deleted.

5. Amendment of section 24, Rajasthan Act No. 15 of 2002.- For the existing section 24 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**24. Vice-Chancellor.-** (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time paid officer of the University and shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government upon recommendation of a Selection Committee consisting of -

(a) one person nominated by the Board not connected with the University or any college thereof;

(b) a person having special knowledge of Indian System of Medicine nominated by the department of Indian System of Medicine (Health and Family Welfare) Government of India;

(c) one person nominated by the Chancellor; and

(d) one person nominated by the State Government,

and the Chancellor shall appoint one of these persons to be the Chairman of the Committee.

(2) The term of the office of the Vice-Chancellor shall be three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term.

(3) The Vice-Chancellor shall receive such pay and allowances as may be determined by the State Government. In addition to it, he shall be entitled to free furnished

residence maintained by the University and such other perquisites as may be prescribed by the statutes.

(4) When a permanent vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of his death, resignation, removal or the expiry of his term of office, it shall be filled by the Chancellor in accordance with sub-section (1), and for so long as it is not so filled, stop-gap arrangement shall be made by him under and in accordance with sub-section (5).

(5) When a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of leave, suspension or otherwise or when a stop-gap arrangement is necessary under sub-section (4), the Registrar shall forthwith report the matter to the Chancellor, who shall make, on the advice of the State Government, arrangement for the carrying on the functions of the office of the Vice-Chancellor.

(6) The Vice-Chancellor may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.

(7) Such resignation shall take effect from the date determined by the Chancellor and conveyed to the Vice-Chancellor.

(8) Where a person appointed as the Vice-Chancellor was in employment before such appointment in any other college, institution or University, he may continue to contribute to the provident fund of which he was a member in such employment and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund.

(9) Where the Vice-Chancellor had been in his previous employment, a member of any insurance or pension scheme, the University shall make a necessary contribution to such scheme.

(10) The Vice-Chancellor shall be entitled to travelling and daily allowance at such rates as may be fixed by the Board.

(11) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave as under:-

(a) leave on full pay at the rate of one day for every eleven days of active service; and

(b) leave on half pay at the rate of twenty days for each completed year of service:

Provided that leave on half pay may be commuted as leave on full pay on production of medical certificate.".

6. Amendment of section 29, Rajasthan Act No. 15 of 2002.- The existing clause (d) of sub-section (4) of section 29 of the principal Act shall be deleted.

7. Amendment of section 44, Rajasthan Act No. 15 of 2002.- For the existing section 44 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**44. Accounts and audit.-** (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared by the Finance and Accounts Officer under the direction of the Vice-Chancellor and all moneys accruing to or received by the University from whatever source and all amount disbursed or paid shall be entered in the accounts.

(2) The Finance and Accounts Officer shall, before such date as may be prescribed by the Statutes, prepare the annual financial estimates for the ensuing year.

(3) The annual accounts and the annual financial estimates prepared by the Finance and Accounts Officer shall be placed before the Board together with the remarks of the Finance and Accounts Committee for approval and the Board may pass resolution with reference thereto and communicate the same to the Finance and Accounts Officer who shall take action in accordance therewith.

(4) The annual accounts shall be audited in the prescribed manner by such auditors as the State Government may direct and the cost of such audit shall be a charge on the University fund.

(5) The accounts when audited shall be printed and copies thereof, together with the audit report, shall be submitted by the Vice-Chancellor to the Board which shall forward them to the State Government with such comments as may be deemed necessary.

(6) The University shall settle objections raised in the audit and carry out such instructions as may be issued by the State Government on the audit report.".

8. Insertion of new sections 44-A and 44-B, Rajasthan Act No. 15 of 2002.- After the existing section 44 of the principal Act so amended and before the existing section 45, the following new sections shall be inserted, namely:-

"**44-A. Control of the State Government.-** Where the State Government funds are involved, the University shall abide by the terms and conditions attached to the sanction of such funds which may *inter alia* include prior permission of the State Government in respect of the following, namely:-

(a) creation of the new posts of teachers, officers or other employees;

(b) revision of the pay, allowances, post-retirement benefits and other benefits to its teachers, officers and other employees;

(c) grant of any additional/special pay, allowance or other extra remuneration of any description whatsoever, including *ex-gratia* payment or other benefits having financial implications, to any of its teachers, officers or other employees;

(d) diversion of any earmarked funds other than the purpose for which it was received;

(e) transfer by sale, lease, mortgage or otherwise of immovable property;

(f) incur expenditure on any development work from the funds received from the State Government for any purposes other than for which the funds are received; and

(g) take any decision resulting in increased financial liability, direct or indirect, for the State Government.

Explanation.- The above conditions shall also apply in respect of the posts created from any other fund, which may, in the long term, be likely to cause financial implications to the State Government.

44-B. Assumption of financial control by the State Government as emergency measure.- (1) The State Government shall have the right to cause an inquiry to be made, by such person or persons as it may direct, and to issue directions to the University, in respect of any matter connected with the finances of the University, where State Government funds are concerned.

(2) If the State Government is satisfied that owing to mal-administration or financial mismanagement in the University a situation has arisen whereby financial stability of the University has become insecure, it may by a notification, declare that the finances of the University shall be subject to the control of the State Government and shall issue such other directions as it may deem fit for the purpose and the same shall be binding on the University.".

———

STATENEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There has been good harmony between the Universities and the State Government but sometimes there were instances when policies and directions of the State Government are ignored even when they are confined to administration of financial matter.

Also, there is no enabling provision through which Universities can be made to follow general financial discipline or administrative policies of the State Government. Moreover, there are variations in the method of appointment and retirement and retirement age of Vice-Chancellors.

Therefore, in order to maintain some sort of uniformity in various Universities' Acts and also to bring about better financial discipline and administrative atmosphere, it has been decided to amend some sections and to add new provision i.e. visitation powers of Chancellor, retirement age of Vice-Chancellor, other service conditions of Vice-Chancellor, accounts and audit, control of the State Government regarding State Government funds and assumption of financial control by the State Government as emergency measure in the Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur Act, 2002.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

राजेन्द्र राठौड़,
Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 5 and 7 of the Bill, if enacted, shall empower to prescribe other perquisites of Vice-Chancellor under the proposed section 24 (3) and the date before which annual financial estimates for the ensuing year shall be prepared under the proposed section 44 (2) respectively.

The proposed delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

राजेन्द्र राठौड़,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE DR. SARVEPALLI RADHAKRISHNAN RAJASTHAN AYURVED UNIVERSITY, JODHPUR ACT, 2002

(Act No. 15 of 2002)

XX XX XX XX XX

9. Powers of the Chancellor.- (1) to (3) xx xx xx xx

(4) The Chancellor may cause an inspection by such person or persons as he may nominate, of the University and its building, centres, libraries, museums, workshops, equipments and examinations and also of any institution, college or hostel administered, controlled or maintained by the University as well as of the examination, teaching and other work conducted by the University.

(5) The Chancellor may cause an enquiry into any matter related to administration or the finances of the University.

(6) xx xx xx xx xx xx xx

10. Inspection or inquiry and direction by the Chancellor.- (1) Where an inspection or inquiry has been ordered by the Chancellor of the University under sub-section (4) or (5) of section 9, the University may depute one of its officers to represent it, in such inspection or enquiry.

(2) The result of the inspection or inquiry and the advice, if any, of the Chancellor shall be communicated by the Chancellor to the Vice-Chancellor.

(3) The result and the advice referred to in sub-section (2) shall be communicated by the Vice-Chancellor with his comments to the Board of Management for such action as the Board may propose to take and the action so taken shall be communicated to the Chancellor through Vice-Chancellor.

(4) Where the Board of Management fails, within reasonable time, to take any action as such required in the result of the inspection or inquiry or in the advice given by the Chancellor or does not take action to the satisfaction of the Chancellor, a

direction may be issued by the Chancellor and the Board of Management shall comply with such direction.

XX XX XX XX XX

20. Finance and Accounts Committee.- (1) to (3) xx xx xx

(4) The committee shall perform the following additional functions and duties, namely:-

(a) to recommend to the Board of Management the limits for the total recurring and non-recurring expenditure for the year, based on the income and resources of the University including the proceeds of loans for productive work;

(b) to recommend to the Board of Management productive investment and management of University assets and resources;

(c) to explore the possibilities of, and resort to augmenting the resources for the development of the University;

(d) to take necessary steps to have the University accounts audited by auditors appointed by the Board of Management;

(e) to advise the Board of Management of matters related to the administration of the property and the funds of the University;

(f) to ensure proper implementation of the State Government's orders issued from time to time in respect of financial matters;

(g) to advise on financial matters referred to it by the Board of Management, Academic Council or any other authority, body or committee or any officer of the University;

(h) to report to the Vice-Chancellor any lapse or irregularity in financial matters which comes to its notice who may take suitable prompt actions

after assessing the seriousness of the matter or refer it to the Board of Management.

(5) xx xx xx xx xx xx

(6) The annual accounts of the University shall be open for audit by the auditors appointed by the State Government.

XX XX XX XX XX

24. Vice-Chancellor.- (1) The Vice-Chancellor shall be a full-time paid Officer of the University and shall be appointed by the Chancellor upon the recommendation of selection committee consisting of the following namely:-

(a) a person nominated by the Board of Management who should not be connected with the University or any affiliated college or recognised or approved institutions;

(b) a person having special knowledge of Indian System of Medicine nominated by the department of Indian System of Medicine (Health and family Welfare), Government of India;

(c) the Secretary to the Government, Department of Ayurved, Rajasthan or any other officer nominated by the State Government;

(d) One distinguished Ayurvedic Educationist nominated by the Chancellor,

and the Chancellor shall, appoint one of these persons as the Chairman of the Committee.

(2) The process of preparing a panel shall begin at least three months before the probable date of occurrence of the vacancy of the Vice-Chancellor and shall be completed within the time limit fixed by the Chancellor. The Chancellor may extend the time limit if necessary to do so but the period so extended shall not exceed three months in aggregate.

(3) The committee shall recommend a panel of not less than three suitable people for the consideration of the Chancellor

for being appointed as the Vice-Chancellor. The names shall be in alphabetical order without any preference being indicated. The report shall be accompanied by a detail write-up on suitability for each person include in the panel.

(4) The University shall incur the expenditure on the committee as approved by the Chancellor.

(5) The Chancellor may appoint in consultation with the State Government one of the persons included in the panel to be the Vice-Chancellor. If the Chancellor does not approve any of the persons so recommended he may call for a fresh panel either from the same committee or after constitution of a new committee for the purpose.

(6) The person appointed as Vice-Chancellor shall hold office for the period of five years from the date on which he enters upon his office or till attaining the age of 65 years, whichever is earlier and shall not be eligible for re-appointment.

(7) The Vice-Chancellor may relinquish his office by resignation in writing under his hand addressed to the Chancellor which shall be delivered to the Chancellor normally 60 days prior to the date on which the Vice-Chancellor wishes to be relieved from his office, but the Chancellor may relieve him earlier.

(8) The Chancellor may appoint any suitable person to act as a Vice-Chancellor for a term not exceeding six months in the aggregate as he may specify in his order, in any of the following circumstances:-

(a) Where any vacancy occurs in the office of the Vice-Chancellor because of death or resignation and it cannot be conveniently and expeditiously filled in accordance with the provisions of sub-sections (1) to (6);

(b) Where the vacancy of the Vice-Chancellor occurs temporarily because of illness or other causes.

(9) The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as may be prescribed by the

Statutes, and shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

XX XX XX XX XX

29. The Finance and Accounts Officer.- (1) to (3) xx xx xx

(4) The duties of Finance and Accounts Officer shall be to-

(a) exercise general supervision over the funds of the University and to advise the Vice-Chancellor as regards the finances of the University;

(b) ensure that the limits fixed by the University for recurring and non-recurring expenditure for a year are not exceeded, and that all allocations are expended for the purposes for which they are granted or allotted;

(c) keep watch on the progress of collection of revenue and advise the Vice-Chancellor on the methods to be employed for collection;

(d) have the accounts of the University audited regularly;

(e) ensure that the registers of buildings, land, equipment and machinery are maintained upto-date and that the stock-taking of equipments and other consumable materials in all offices, colleges, workshops and stores of the University is conducted regularly;

(f) purpose to the Vice-Chancellor that explanation be called for unauthorised expenditure or other financial irregularities from any academic member of the University;

(g) purpose to the Registrar that explanation be called from any employee or officer of the University for unauthorised expenditure or irregularities in any particular case, and recommended disciplinary action against the persons at fault;

(h) call from any office, centre, laboratory, college, department of the University or University institution, for any information and returns that he thinks necessary for the proper discharge of his financial responsibilities; and

(i) exercise such other powers, perform such other duties and discharge such other financial functions as are assigned to him by the Vice-Chancellor or are prescribed by the Statutes or Ordinances.

XX XX XX XX XX

44. Annual accounts and financial estimates.- (1) The annual accounts of the University shall be prepared under the direction of the Finance and Accounts Committee and shall be submitted to the Board of Management.

(2) The Board of Management shall, after the accounts are audited, submit a copy thereof alongwith a copy of the audit report to the State Government.

(3) The Finance and Accounts Committee shall also prepare, before such date as may be prescribed by the Statutes, the financial estimates for the ensuing year.

(4) The annual accounts and the financial estimates shall be considered by the Board of Management at its annual meeting and the Board of Management may pass resolutions with reference thereto and communicate the same to the Finance and Accounts Committee which shall take them into consideration and take such action therein as it thinks fit; and finally adopt the accounts and financial estimates. The Finance and Accounts Committee shall inform the Board of Management at its next meeting of the action taken by it or of its reasons for taking no action.

XX XX XX XX XX

2015 का विधेयक सं.10

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2002 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,
विशिष्ट सचिव।

(राजेन्द्र राठौड़, **प्रभारी मंत्री)**

Bill No. 10 of 2015

THE DR. SARVEPALLI RADHAKRISHNAN RAJASTHAN AYURVED UNIVERSITY, JODHPUR (AMENDMENT) BILL, 2015

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur Act, 2002.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRITHVI RAJ,
Special Secretary.

(Rajendra Rathore, **Minister-Incharge**)